झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) राँची–03–10 / 2016 .... / राँची, दिनांक : ....

आदेश

श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, (ID-3438) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (निलंबित) जलपथ प्रमण्डल, सं०–01, चक्रधरपुर, जिला–चाईबासा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप उन्हें विभागीय आदेश सं०–96 दिनांक– 09.01.2017 द्वारा झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–99 के तहत् दिनांक– 17.12.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था। इस मामले में दर्ज जमशेदपुर थाना कांड सं०– 06 / 2016 दिनांक– 15.12.2016 में इनके विरूद्ध विधि (न्याय) विभाग, राँची के आदेश ज्ञापांक– 22 / जे० दिनांक– 09.06.2017 द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत है।

2. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् इनके दिनांक– 17.07.2017 को विभाग में योगदान के पश्चात् इन्हें विभागीय आदेश सं०– 4703 दिनांक– 06.11.2017 द्वारा झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–100 के तहत् दिनांक– 17.07.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल भवन, डोरण्डा, राँची का कार्यालय निर्धारित करते हुए नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा का आदेश संसूचित किया गया।

3. श्री मंडल के निलंबन के संबंध में सम्यक् समीक्षोपरान्त इन्हें निलंबन मुक्त करते हुए अकार्य कोटि में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि के वेतन भुगतान का मामला न्याय निर्णय एवं विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

4. श्री मण्डल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधी संसूचन अलग से की जायेगी।

5. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह० / –

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 4469 राँची / दिनांक 23/10/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), हिनू, राँची / कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा / कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, जल भवन, डोरण्डा, राँची / श्री शैलेन्द्र कुमार मण्डल, वर्त्तमान पता–फ्लैट सं०–202, लव अपार्टमेन्ट रोड नं०–02, हवाई नगर थाना–जगन्नाथपुर, जिला– राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/18

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव
झारखण्ड, राँची।